



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Paush, 1941(S)

No. 30

Ranchi, Monday, 11th January, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

----- Notification No. 72/2020 – State Tax

S.O. No. 03, Dated 11th January, 2021 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to be effective from the 30th September, 2020.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-

“(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.”.

3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”.

4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”.

[File No.Va Kar / GST /01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vandana Dadel)

Principal Secretary,

Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28-State Tax, dated the 20th June, 2017 and last amended vide notification No. 62/2020 - State Tax, dated the 07th December, 2020, published vide S.O. No. 86, dated the 07th December, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 72/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 03, दिनांक 11 जनवरी, 2021 - झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) अन्य था उपबंधित के सिवाय, ये नियमावली तारीख 30 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(द) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई.आर. एन.) सन्निहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।”

3. उक्त नियमावली के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिया व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।”

4. उक्त नियम के नियम 138क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई.आर.एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल)

प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना एस. ओ. सं. 28- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 62/2020- राज्य कर तारीख 7 दिसम्बर, 2020, जो एस. ओ. सं. 86, तारीख 7 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।
